संख्या-2/2023/001-ई-2284040 60-3-2022 सी 1679100

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2023

विषय-कृष्ण कुटीर आश्रय सदन वृन्दावन, मथुरा के संचालन हेतु गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अवशेष केन्द्रांश (द्वितीय किश्त) की प्रतिपूर्ति तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-735/म0क0नि0/2021-22, दिनांक 21.12.2022 के क्रम में वृन्दावन, जनपद मथुरा स्थित निराश्रित महिलाओं के लिये 1000 बेड क्षमता के कृष्ण कुटीर आश्रय सदन के संचालन हेतु गत् वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अवशेष केन्द्रांश (द्वितीय किश्त) धनराशि रू0-25,59,154/- की प्रतिपूर्ति तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0-64,61,213/- अर्थात् कुल केन्द्रांश की धनराशि रू0-90,20,367/- (रुपये नब्बे लाख बीस हजार तीन सौ सरसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-05-वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं के लिये 1000 क्षमता के सदन का संचालन 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' मद में प्रावधानित धनराशि रू0-190.00 लाख से निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं 10.11.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वी कृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) प्रश्नएगत स्वीसकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीशकृति का आदेश निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्ध्ता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) योजनान्त र्गत अवमुक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तरर्गत अपेक्षित केन्द्रा श उपलब्धम हो गया है।

(8) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस संबंध में वित्तीवय वर्ष 2021-22 में प्रदान की गयी वित्तीचय स्वीकृति के संबंध में कोई भी धनराशि आहरित नहीं की गयी है तथा संबंधित धनराशि का समर्पण कर दिया गया है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 90,20,367 (रुपये नव्वे लाख बीस हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021030105 वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 क्षमता के सदन का संचालन (के.100/रा.0-के.) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-404-X-2022-23, दिनांक-13 जनवरी, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-2/2023/001-ई-2284040 60-3-2022 सी 1679100 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, मथुरा।
5- वित्त एवं लेखा अधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।